

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

पंजीयन क्रमांक 52/करौली/2008-09



यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्लोबल एज्युकेशन एण्ड डवलपमेंट
सोसायटी, हिर्डीन का पंजीयन राजस्थान सोसायटी
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक
28/1/09 को किया गया था।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर ग्लोबल फाउण्डेशन हिर्डीन
कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की
धारा 12 के प्राक्धान के अन्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील से आज दिनांक 29/6/2012
को जारी किया जाता है।


रजिस्ट्रार संस्थाएँ,

करौली
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
जिला-करौली